प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 24 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-05-2023) दिनांक-19-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-43791) पुत्र श्री दीनदयाल, कालीनगर, हाल निवासी कैम गुर्ज गौटिया, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 17-12-1994 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लूट के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 1-श्री केशन वर्मा, 2-श्रीमती चेना, 3-आरती(08 वर्ष) की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी0 नं0-569/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302,394,364,201,411 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायालय, पीलीभीत के आदेश दिनांक-28-09-2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 30-02-2010 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन करावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.04.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा 22 वर्ष, 04 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16-03-2023 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17-12-1994 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लूट के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 1-श्री केशन वर्मा, 2-श्रीमती चेना, 3-आरती(08 वर्ष) की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री दीनदयाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-43791) पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी जनपद-पीलीभीत को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-176/2025/2329(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-176/2025/2329/22-2-2023-17(446)/2024

दिनांक: 24 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-43791) पुत्र श्री दीनदयाल, कालीनगर, हाल निवासी कैम गुर्ज गौटिया, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 17-12-1994 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लूट के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 1-श्री केशन वर्मा, 2-श्रीमती चेना, 3-आरती(08 वर्ष) की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी0 नं0-569/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302,394,364,201,411 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायालय, पीलीभीत के आदेश दिनांक-28-09-2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 30-02-2010 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन करावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.04.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा 22 वर्ष, 04 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16-03-2023 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17-12-1994 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लूट के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 1-श्री केशन वर्मा, 2-श्रीमती चेना, 3-आरती(08 वर्ष) की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री दीनदयाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।